कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू–प्रबंध)म0प्र0 भोपाल

क्रमांक/एफ--10/बजट/163/ 1467 भोपाल दिनांक 23-6-08

प्रति,

समस्त वन संरक्षक,(क्षेत्रीय)

समस्त वन मंडलाधिकारी(क्षेत्रीय)

मध्यप्रदेश

विषय :– **वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के प्रत्यावर्तन के प्रस्तुत प्रस्तावों में क्षतिपूर्ति वनीकरण (Conpensatory Afforestation)के संबंध में ।**

संदर्भः– 1. भारत सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र कमांक /5–1/2007/एफ.सी./ दिनांक 28.12.07

2. इस कार्यालय का पत्र कमांक /एफ–1/02/10–11/211 दिनांक 25.1.08

भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र (1) से प्राप्त दिशा निर्देश की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु सबसे पहले उपयुक्त गैर वन भूमि ली जावें। यदि गैर वनभूमि उपलब्ध नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में प्रथमतः छोटे बड़े झाड़ के जंगल नोइयत की राजस्व की भूमि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्राप्त की जाए तथा यह भूमि इस शर्त पर मान्य की जावेगी कि यह भूमि प्रत्यावर्तित वनभूमि के एवज में दुगने विगड़े वनक्षेत्र के रूप में ली गई है। इसे आरक्षित वन के रूप में शीघ्रता से अधिसूचित कराया जावे। इस संबंध में भूमि प्राप्त करने के संदर्भ में लैंड बैंक हेतु जो निर्देश जारी किये गये है, उन्ही मापदंड के आधार पर यह भूमि रोपण हेतु प्राप्त करें।

वन संरक्षक सम्मेलन के दौरान भी आपको इस संबंध में निर्देश दिये गये है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

23/6

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

म0प्र0 भोपाल

क्रमांक/एफ–10/बजट/163/ 1468 भोपाल दिनांक 23-6-08

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव (वन) म0प्र0 मंत्रालय भोपाल ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) म0प्र0 भोपाल।
3. प्रबंध संचालक लघु वनोपज संघ मर्यादित म0प्र0 भोपाल।
4. प्रबंध संचालक राज्य वन विकास निगम म0प्र0 भोपाल।
5. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक /मुख्य वन संरक्षक म0प्र0 भोपाल।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

म0प्र0 भोपाल